(140) 138

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3706–पीबीआर / 2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–8–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 347 / अपील / 2013–14.

....

नाहर सिंह पिता बागजी बारिया
निवासी ग्राम अजबबोराली
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ .... आवेदक

विरूद्ध

1–फूलसिंह पिता गणेश कटारा
2–रमेश पिता सुकला वसुनिया
3–नंदू पिता फत्ता मईड़ा
4–निलेश पिता भुरजी हटिला
5–कैलाश पिता थावरिया मैड़ा
सभी निवासी ग्राम अजबबोराली
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ
6–सरपंच ग्राम पंचायत अनंतखेड़ी
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ
7–सचिव ग्राम पंचायत अनंतखेड़ी ....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदक

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 27/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–08–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 3046/97/भू.अभि.रा.नि.क./2011 दिनांक 17–10–2011 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप तहसीलदार पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा ग्राम पंचायत अनंतखेड़ी के ग्राम बोराली में रिक्त कोटवार के पद पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये अनावेदक क्रमांक 1 की नियुक्ति करने संबंधी आदेश दिनांक 10–09–2012 को पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–05–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 07–08–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखा गया एवं अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 230(4)(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस राजस्व अधिकारी को कोटवार पद हेतु प्राधिकृत किया गया है वह ग्राम पंचायत का संकल्प प्राप्त कर कोटवार पद पर नियुक्ति करेगा । इस प्रकरण में ग्राम अनंतखेड़ी के नागरिकों द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 3 को कोटवार पद पर नियुक्त नहीं किये जाने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, इस स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा विधि की गंभीर त्रुटि की गई है ।

(2) ग्राम सरपंच द्वारा अपने भांजे का ठहराव प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे मानकर तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति करने में अवैधानिकता की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में स्पष्ट अभिमत दिया गया है, जबकि ऐसा कोई अभिमत ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है। उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत बने कोटवारी नियमों के नियम 4(1) के अनुसार ग्राम पंचायत का अभिमत लिये जाने संबंधी प्रावधान है और इस प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अनावेदक कमांक 1 को कोटवार पद पर नियुक्त करने संबंधी स्पष्ट ठहराव प्रस्ताव पारित किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 की कोटवार पद पर नियुक्ति करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) कोटवारी पद के लिये अच्छे चरित्र का होना आवश्यक है, जबकि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिकमण किया गया है और एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी को नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा चयन किये गये कोटवार को हटाकर अन्य व्यक्ति को कोटवार पद पर नियुक्ति करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है ।

(4) तहसीलदार द्वारा ग्राम में डोडी पिटवाकर इश्तिहार आदि का प्रकाशन कर आवेदन पत्र प्राप्त कर अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति की गई है, जिसमें

कोई अवैधानिकता नहीं है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्क के समर्थन में 1987 आरएन 208, 1985 आरएन 36, 1980 आरएन 279, 2001 आरएन 283 एवं 1969 आरएन 342 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जिस ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति की गई है, वह विधि अनुसार पारित नहीं है, क्योंकि उक्त ठहराव प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं है कि कौन–कौन से पंच उपस्थित हुये हैं और ना ही पंचों के ठहराव प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है। यहॉ तक कि प्रस्ताव एवं अनुमोदक के भी हस्ताक्षर उक्त ठहराव प्रस्ताव पर नहीं है। स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति करने में पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न है कि तहसीलदार के समक्ष लगभग 100 से अधिक ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षर एवं अँगूठा निशानी लगाकर इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि कोटवार पद पर अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति न की जाय और उक्त पद पर आवेदक की नियुक्ति की जाये । उक्त आवेदन पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अनावेदक कमांक 1 उक्त ग्राम का निवासी नहीं होकर ग्राम बोड़ायता का निवासी है और अनावेदक कमांक 1 ग्राम सरपंच का भान्जा होने से मिली भगत करके नियुक्ति कराना चाहता है, जबकि आवेदक अजबबोराली ग्राम का ही निवासी होकर अधिक शिक्षित है । उक्त आवेदन पत्र का न तहसीलदार द्वारा अपनी आदेशिकाओं में उल्लेख किया गया है और न ही उन पर विचार किया गया है । अतः तहसीलदार के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । चूँकि

100 से अधिक लोगों द्वारा कोटवार पद पर आवेदक की नियुक्ति करने की अनुशंसा की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्ति करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के विधि संगत आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–08–2014 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–05–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर